UPPG010044542026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP 6467
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1769/2026

वार्ता विश्वकर्मा उम्र करीब 34 वर्ष, पत्नी शिवम उपाध्याय,
निवासी ग्राम– औरा, थाना– कप्तानगंज, जिला– आजमगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या :280/2026
धारा– 305, 317(2) बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़

<u>दिनांक–01.07.2026</u>

1. आवेदिका/अभियुक्ता **वार्ता विश्वकर्मा** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–280/2026, धारा–305, 317(2) बी.एन.एस., थाना–कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा कि आवेदिका/अभियुक्ता पूर्णतः निर्दोष है, उसे असत्य एवं फर्जी कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलंब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। वादिनी मुकदमा एवं प्रार्थिनी के पति के मध्य पूर्व से संपर्क एवं बातचीत थी, जिसका प्रार्थिनी द्वारा विरोध किया जाता था। इसी रंजिश के कारण प्रार्थिनी को नामजद कर फंसाया गया है। प्रार्थिनी एक महिला है तथा उसका लगभग डेढ़ वर्ष का एक छोटा बच्चा है उसके साथ जिला कारागार में रह रहा है। इसके अतिरिक्त उसका दूसरा नाबालिग बच्चा अपना मामा के संरक्षण में रहने को विवश है। अभियोजन का मुख्य आधार कथित मौखिक स्वीकारोक्ति है, जो न तो किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष हुई है और न ही किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष।आवेदिका /अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अनुपस्थिति में निरस्त हुआ है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।
2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोगी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रार्थिनी अपने परिवार सहित दिनांक 30/04/2026 को लखनऊ गई थी जो कि दिनांक 05.05.2026

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.01 16:59:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को लखनऊ से वापस आई तो घर जाकर अलमारी देखा तो अलमारी का लाक टूटा हुआ था, वह अंदर का लाकर खुला हुआ था प्रार्थिनी ने अपना अलमारी मे रखा सामान चेक किया तो सारे जेवरात वह नगदी गायब था प्रार्थिनी के घर पर रह रहे शिवम उपाध्याय की पत्नी वार्ता विश्वकर्मा मौजूद थी व उसके पति गायक थे वार्ता विश्वकर्मा से पूछने पर की अलमारी का लकर कैसे टूटा है तो उसने बताया कि मुझसे गलती हो गई मैं व मेरे पति ने मिलकर आपका सारा सामान अलमारी का लक तोड़कर चुरा लिया प्रार्थनी ने शिवम उपाध्याय के नंबर 727558 5130 पर दिनांक 05/05/2026 को ही काल करके पूछा तो उसने भी कबूल किया कि हां मैं व मेरी पत्नी ने मिलकर आपका सारा जेवरात (1) चेन सोने की, 1 सोने की मंगलसूत्र, 1 सोने का कान टप, 1 सोने का सुई धागा, 1 जोड़ी सोने की कान की बाली, 2 सोने की अंगूठी, 1 नाक की कील सोने की, 5 जोड़ी बिछिया चांदी की, 2 जोड़ी पायल चांदी की व 6000 नगदी आदि) सामान हमने लिया है अभी मेरी परीक्षा चल रही है मैं दिनांक 11/05/2026 को आपका सारा सामान लाकर दे देंगे, इसकी सूचना प्रार्थिनी ने दिनांक 06/05/2026 को चिलविला चौकी पर दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के साथ उसका डेढ़ वर्षीय बच्चा जिला कारागार में निवास करना बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। विचारण में समय लग सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. आवेदक/अभियुक्त **वार्ता विश्वकर्मा** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–280/2026, धारा– 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना–कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़, **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, इस आशय की अण्डरटेकिंगदाखिल करने पर कि–

1. अभियुक्ता आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगी।
2. अभियुक्ता बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगी।
3. अभियुक्ता अनावश्यक रूप से दौरान विचारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।
4. अभियुक्ता बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगी।
5. यदि अभियुक्ता अपना वर्तमान पता बदलता है तो अपने नवीन पता के संबंध में संबंधित थाना/न्यायालय को सूचित करेगी।
6. अभियुक्ता गवाहो को न तो डरायेंगी न तो धमकायेगी ।

7. अभियुक्ता विचारण में सहयोग करेंगी, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक :01.07.2026
अभयराज/– स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
JO Code–UP 6467